(Authoritative English Text of this Department's Notification No. Ayur-A(3)-3/2009 dated as required under clause(3) of Article 348 of the Constitution of India).

**GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH**
**DEPARTMENT OF AYURVEDA**

---

No. Ayur-A(3)-9/2010 Dated: Shimla-171002, the 12 August,2013.

**NOTIFICATION**

In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to make the following amendment/corrections in the Recruitment and Promotion Rules for the post of Senior Ayurvedic Chikitsak(Specialist), Class-I(Gazetted), Recruitment and Promotion Rules, 2013 notified vide this Department Notification No. Ayur-A(3)-9/2010 dated 23rd March,2013, Namely:-

Short title & Commencement : 1 (1) These rules may be called the Himachal Pradesh, Department of Ayurveda, Senior Ayurvedic Chikitsak(Specialist), Class-I(Gazetted),Recruitment & Promotion Rules, 2013.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

Amendment of Annexure-"A": 2 (1) (a) Para 3 of the Column No. 6 the word 'Provide' before 'further' may be substituted as '**Provided**'.

(b) Para 4 of the Column No. 6 in line three words '**of such**' before constitutions may be treated as deleted.

(c) Para 4 of the page-15 the word 'Finally' before 'absorbed' may be read as '**finally**.

(d) Point No.-2 of Para-4 of page-15 the word 'will' before 'qualified' may be read as '**well**'.

(e) Column No. 11 of page No. 16 the words at the place of 'recruitment By promotion' may be read as 'recruitment **by** promotion'.

(f) Point No.(e) of the Terms and Conditions at Serial No. VII of page-20 the words 'five years tenure' may be substituted as '**three** year tenure'.

By Order

Principal Secretary (Ayurveda) to the
Government of Himachal Pradesh.

Endst. No. Ayur-A(3)-9/2010 Dated: Shimla-2, 12th August 2013.

Copy for information and necessary action is forwarded to:-

1. All the Addl. Chief Secretaries/Principal Secretaries /Secretaries to the Government of Himachal Pradesh Shimla-171002.
2. The Director, Ayurveda, Kasumpti, Shimla-171009.
3. The Secretary HP Public Service Commission, Nigam Vihar,Shimla-171002 w.r.t. his letter 1-2/78-PSC-Part dated 01-02-2013.
4. The Controller, Printing & Stationery Department, HP Shimla-171005 for publication in the Rajpatra.
5. The ALR-cum-Under Secretary (Law) to the Government of H.P. Shimla-2
6. Guard file with 50 spare copies.

(G.R. Sauhta)
Under Secretary (Ayurveda) to the
Government of Himachal Pradesh.
Tele Fax:-2628486

-: 0 :-

Dir

3458
28-3-2013

हिमाचल प्रदेश सरकार
आयुर्वेद विभाग

संख्याः आयु0–ए–(3)–9/2010 तारीख शिमला–2, 23 मार्च,2013.

## अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश आयुर्वेद विभाग में वरिष्ठ आयुर्वेदिक चिकित्सक(विशेषज्ञ), वर्ग–I (राजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से सलंग्न उपाबन्ध– "क" के अनुसार, भर्ती और प्रोन्नति नियम, बनाती हैं, अर्थात्:–

**संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।** 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश आयुर्वेद विभाग, वरिष्ठ आयुर्वेदिक चिकित्सक(विशेषज्ञ), वर्ग–I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2013 है।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

**निरसन और व्यावृत्तियां** 2 (1) इस विभाग की अधिसूचना संख्याः स्वास्थ्य–ए (3)–5/87 तारीख 16.02.1989 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी विभाग वर्ग–2 सेवा ज्येष्ठ आयुर्वेदिक चिकित्सक पद, (राजपत्रित) भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 1989 का एतद्द्वारा निरसन किया जाता है।

Sh. S.P. 28/3

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपर्युक्त उप–नियम 2(1) के अधीन इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्रवाई इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी।

आदेश द्वारा,

प्रधान सचिव (आयुर्वेद)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

-2-

पृष्ठांकन सं0: यथोपरि। तारीख शिमला–2, 23 मार्च,2013.

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला–171002।
2. निदेशक (आयुर्वेद) हिमाचल प्रदेश शिमला–171009।
3. सचिव, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग,निगम विहार शिमला–171002 उनके पत्र संख्या 1–2/78–पीएससी– पार्ट दिनांक 01.02.2013 के सन्दर्भ में ।
4. नियन्त्रक मुद्रण एंव लेखन विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला–171005 को राजपत्र में प्रकाशन के लिए।
5. सहायक विधि परामर्शी एवम अवर सचिव (विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला–171002
6. गार्ड नस्ति–60 प्रतियां ।

अवर सचिव(आयुर्वेद)
हिमाचल प्रदेश सरकार ।

उपाबन्ध– "क"

हिमाचल प्रदेश आयुर्वेद विभाग में वरिष्ठ आयुर्वेदिक चिकित्सक(विशेषज्ञ), वर्ग–I (राजपत्रित) के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम

| | | |
|---|---|---|
| 1. | पद का नाम : | वरिष्ठ आयुर्वेदिक चिकित्सक(विशेषज्ञ), |
| 2. | पदों की संख्या : | 18 (अठारह) |
| 3. | वर्गीकरण : | वर्ग–I (राजपत्रित) |
| 4. | वेतनमान : | (i) नियमित पदधारियों के लिए वेतनमानः–15600–39100/–रूपए जमा 6600/– रूपए ग्रेड पे<br>(ii) संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों के लिए उपलब्धियांः– स्तम्भ 15–क में दिए गए ब्यौरे के अनुसार 22,200/–रूपए। |
| 5. | चयन पद अथवा अचयन पद : | चयन। |
| 6. | सीधी भर्ती के लिए आयु : | 45 वर्ष और इससे कम : |
| | परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा, तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों सहित, पहले से ही सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगी :<br>परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो तो, वह तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्ति के कारण विहित आयु में छूट के लिए पात्र नहीं होगा :<br>परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य वर्गों के व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में उतनी ही छूट दी जा सकेगी, जितनी हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेश के अधीन अनुज्ञेय है :<br>परन्तु यह और भी कि पब्लिक सेक्टर, निगमों तथा स्वायत्त निकायों के सभी कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सेक्टर, निगमों तथा स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सेक्टर, निगमों तथा स्वायत्त निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती में आयु सीमा में ऐसी ही रियायत दी जाएगी, जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है, किन्तु इस प्रकार की रियायत पब्लिक सेक्टर, निगमों तथा स्वायत्त निकायों के ऐसे कर्मचारिवृंद को नहीं दी जाएगी, जो पश्चात्वर्ती ऐसे निगमों/स्वायत निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे/ किए गए हैं और उन पब्लिक सेक्टर, निगमों/स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात् ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं/ किए गए थे।<br><br>(1) सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी, जिसमें पद (पदों) को आवेदन आमन्त्रित करने के लिए, यथास्थिति, विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है।<br><br>(2) अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा और अनुभव हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल किया जा सकेगा। | |

| | | |
|---|---|---|
| 7. | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं: | **क) अनिवार्य अर्हताएः**<br>i). भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद/हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से कम से कम तीन वर्ष की अवधि की काया चिकित्सा या बालरोग या प्रसूतितंत्र या शल्यतंत्र या शालकय तंत्र या पंचकर्मा में एम0डी0(आयुर्वेद)।<br>ii) संबंधित विशेषज्ञता में स्नातकोत्तर करने के पश्चात् किसी सरकारी/मान्यताप्राप्त संस्था(ओं) में आयुर्वैदिक चिकित्सा अधिकारी के रूप में पांच वर्ष का क्लिनिकल अनुभव।<br>**(ख) वाँछनीय अर्हता :**<br>हिमाचल प्रदेश की रूढ़ियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता । |
| 8. | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हता(एं), प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं : | आयु : लागू नहीं।<br>शैक्षिक अर्हता : हां, स्तम्भ संख्या 11 के सामने यथाविहित। |
| 9. | परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो: | दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा, जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दे। |
| 10. | भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता :- | i) पचास प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा,<br>ii) पचास प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा, यथास्थिति, नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर नियुक्ति द्वारा, ऐसा न होने पर स्थानान्तरण द्वारा या सेकण्डमेन्ट आधार पर। |
| 11. | प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण की दशा में श्रेणियां, जिनसे प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ स्थानान्तरण किया जाएगा : | कायाचिकित्सा या बालरोग या प्रसूतितंत्र या शल्यतंत्र या शाल्कयतंत्र या पंचकर्मा की विशेषज्ञता में कम से कम तीन वर्ष की किसी मान्यताप्राप्त एम0डी0(आयुर्वेद) वाले आयुर्वैदिक चिकित्सा अधिकारी में से प्रोन्नति द्वारा, जिनका संबधित एम0डी0(आयुर्वेद) की उपाधि (डिग्री) प्राप्त करने के पश्चात् संबंधित विशेषज्ञता में कम से कम पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल या लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल हो, ऐसा न होने पर राज्य सरकार के अन्य विभागों से समतुल्य पद धारण करने वाले और समान वेतनमान में कार्यरत पदधारियों में से स्थानांतरण द्वारा सेकेंण्डमेंट के आधार पर:<br>परन्तु वरिष्ठ आयुर्वेदिक चिकित्सक (विशेषज्ञ) के पद को भरने हेतू निम्नलिखित दो बिन्दु पद आधारित रोस्टर का अनुसरण किया जाएगा:<br>बिन्दु संख्या — वर्ग<br>पहला पद — प्रोन्नत व्यक्ति<br>दुसरा पद — सीधी भर्ती द्वारा |

| | | |
|---|---|---|
| | | टिप्पणः– रोस्टर प्रत्येक दूसरे बिन्दु के पश्चात् तब तक चकानुकमित किया जाएगा, जब तक दोनों वर्ग को दी गई प्रतिशतता द्वारा प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं किया जाता है। तत्पश्चात्, रिक्ति उस वर्ग से भरी जाएगी जिसने पद खाली किया हो। |

(I) परन्तु प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए प्रत्येक कर्मचारी को, जनजातीय/दुर्गम क्षेत्रों में पद (पदों) की ऐसे क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या की उपलब्धता के अध्यधीन, कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा करनी होगी :

परन्तु यह और कि उपर्युक्त परन्तुक (1) उन कर्मचारियों के मामले में लागू नहीं होगा, जिनकी अधिवर्षिता के लिए पांच वर्ष या उससे कम की सेवा शेष रही हो :

परन्तु यह और भी कि उन अधिकारियों/कर्मचारियों को, जिन्होंने जनजातीय /दुर्गम क्षेत्र में कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा नहीं की है, ऐसे क्षेत्र में उसके अपने संवर्ग (काडर) में सर्वथा वरिष्ठता के अनुसार स्थानान्तरण किया जाएगा ।

<u>स्पष्टीकरण–I</u> : उपर्युक्त परन्तुक के प्रयोजन के लिए जनजातीय/दुर्गम क्षेत्रों में "कार्यकाल" से साधारणतया तीन वर्ष की अवधि या प्रशासनिक अपेक्षाओं और कर्मचारी द्वारा किए गए कार्य को ध्यान में रखते हुए, ऐसे क्षेत्रों में तैनाती की इससे कम अवधि, अभिप्रेत होगी ।

<u>स्पष्टीकरण– II</u>: उपर्युक्त परन्तुक के प्रयोजन के लिए जनजातीय/दुर्गम क्षेत्र निम्न प्रकार से होंगे :–

1 जिला लाहौल एवं स्पिति ।
2 चम्बा जिला का पांगी और भरमौर उप–मण्डल ।
3 रोहडू उप–मण्डल का डोडरा–क्वार क्षेत्र ।
4 जिला शिमला की रामपुर तहसील का पन्द्रह बीस परगना,मुनीष,दरकाली और ग्राम पंचायत काशापाट ।
5 कुल्लू जिला का पन्द्रह बीस परगना ।
6 कांगडा जिला के वैजनाथ उप–मण्डल का बड़ा–भंगाल क्षेत्र ।
7 जिला किन्नौर ।
8 सिरमौर जिला में उप–तहसील कमरऊ के काठवाड और कोरगा पटवार वृत्त, रेणुकाजी तहसील के भलाड भलोना और संगना पटवार वृत्त और शिलाई तहसील का कोटा पाव पटवार वृत्त ।
9 मण्डी जिला में करसोग तहसील का खन्योल बगडा पटवार वृत्त, वाली चौकी उप–तहसील के गाडा गोसांई, मठयानी, घनयाड़ थाची, वागी, सोमगाड़, पद्धर तहसील के झारवाड़ कुटगढ़, ग्रामन, देवगढ़, ढैला, रोपा, कथरोग, सिल्ह भड़वानी, हस्तपुर,घमरेड़ और भटेढ़ पटवार वृत्त, थुनाग तहसील के चियुनी, कालीपार, मानगढ़ थाच बगड़ा उत्तरी मगरू और दक्षिण मेगरू पटवा वृत्त और सुन्दरनगर तहसील का बटवाड़ा पटवार वृत्त ।

(1) प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस

| | | |
|---|---|---|
| | शर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी कि सम्भरक प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रकिया को अपनाने के पश्चात् की गई थी :<br>परन्तु उन सभी मामलों में, जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई सेवा सहित, जो नियमित सेवा/ नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां अपने अपने प्रवर्ग/पद/काडर में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगे :<br>परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगी :<br>परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझे जाएंगे ।<br>**स्पष्टीकरणः–** अन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा, यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है, जिसे डिमोबीलाईज्ड आर्मड फोर्सिज परसोनल (रिजर्वेशन आफ वैकेन्सीज इन हिमाचल स्टेट नान–टेक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1972 के नियम–3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स सर्विसमैन (रिजर्वेशन आफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टेक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1985 के नियम–3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और इसके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों ।<br><br>(2) इसी प्रकार स्थायीकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति/प्रोन्नति से पूर्व सम्भरक पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति उचित चयन के पश्चात् और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थी :<br>परन्तु की गई उपर्युक्त निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात्, जो स्थायीकरण होगा, उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी । |
| 12. | यदि विभागीय प्रोन्नति समिति, विद्यमान हो तो उसकी संरचना : | जैसी सरकार द्वारा समय समय पर गठित की जाए। |
| 13. | भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा : | जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो। |
| 14. | सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा : | किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है । |
| 15. | सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन : | सीधी भर्ती के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। यदि, यथास्थिति हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे, तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसका |

| | | |
|---|---|---|
| | | स्तर/ पाठ्यक्रम इत्यादि, यथास्थिति आयोग/ अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा । |
| 15 (क) | संविदा के आधार पर सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन : | इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी पद पर संविदा नियुक्तिया, नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्तों के अध्यधीन की जाएंगी:–<br>**I) <u>सकंल्पना</u>**<br>(क) इस पॉलिसी के अधीन आयुर्वेद विभाग में वरिष्ठ आयुर्वेदिक चिकित्सक (विशेषज्ञ) को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा, जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर बढ़ाया जा सकेगा :<br>परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष, यह प्रमाण पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा तथा आचरण, वर्ष के दौरान संतोषजनक पाया गया है और तभी उसकी संविदा अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी।<br>**<u>(ख) पद का हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के कार्यक्षेत्र में आना :–</u>**<br>प्रधान सचिव/सचिव (आयुर्वेद), हिमाचल प्रदेश सरकार, रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् अध्यपेक्षा को सम्बद्ध भर्ती अभिकरण, अर्थात् हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के समक्ष रखेगा ।<br>(ग) चयन, भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित पात्रता शर्तो के अनुसार किया जाएगा ।<br>**(II) <u>संविदात्मक उपलब्धियां :</u>**<br>संविदा के आधार पर नियुक्त वरिष्ठ आयुर्वेदिक चिकित्सक (विशेषज्ञ) को 22,200/–रूपए की समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैण्ड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढौतरी की जाती है, तो पश्चात्वर्ती वर्ष (वर्षो) के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में 666/–रूपए की रकम (पद के पे बैण्ड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगीं ।<br>**(III) <u>नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी:</u>**<br>प्रधान सचिव (आयुर्वेद)/सचिव (आयुर्वेद), हिमाचल प्रदेश सरकार नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा । |

| | | |
|---|---|---|
| | | **(IV)** <u>चयन प्रकिया:</u><br>संविदा नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा या यदि आवश्यक या समीचीन समझा जाए, तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/ पाठ्यक्रम इत्यादि सम्बद्ध भर्ती अभिकरण, अर्थात् हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा अवधारित किया जाएगा ।<br><br>**(V)** <u>संविदात्मक नियुक्ति के लिए चयन समिति :</u><br>जैसी संबद्ध भर्ती अभिकरण, अर्थात् हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा समय–समय पर गठित की जाए।<br><br>**(VI)** <u>करार :</u><br>अभ्यर्थी को, चयन के पश्चात्, इन नियमों से सलंग्न उपाबन्ध–ख के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।<br><br>**(VII)** <u>निबन्धन और शर्तें:</u><br>क) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को 22,200/– रुपए की नियत संविदात्मक रकम ( जो पे बैण्ड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढाए गए वर्षों के लिए संविदात्मक रकम में 666/–रूपए (पद के पे–बैंड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) की वृद्धि का हकदार होगा और अन्य कोई सहबद्ध प्रसुविधाएं, जैसे वरिष्ठ/चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा ।<br><br>(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी । यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है, तो नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए दायी होगी ।<br><br>(ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात्, एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। तथापि, संविदा पर नियुक्त कर्मचारी बारह सप्ताह के प्रसूति अवकाश और दस दिन के चिकित्सा अवकाश का हकदार भी होगा/होगी। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय किसी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा:<br><br>परंतु अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश और चिकित्सा अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और अगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा। |

| | | |
|---|---|---|
| | | (घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना सेवा से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जाएगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्त्तव्य (ड्यूटि) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा ।<br>(ड.) संविदा पर नियुक्त कर्मचारी, जिसने तैनाती के एक स्थान पर पांच वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो ।<br>(च) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। बारह सप्ताह से अधिक की गर्भवती महिला अभ्यर्थी प्रसव होने तक, अस्थायी तौर पर अनुपयुक्त बनी रहेगी। महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा ।<br>(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, यदि अपने पदीय कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित प्रतिस्थानी कर्मचारियों को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी ।<br>(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों के उपबन्ध, जैसे एफ.आर.एस.आर, छुटटी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पेन्शन नियम तथा आचरण नियम आदि संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं होंगे। वे इस स्तम्भ में यथावर्णित उपलब्धियों आदि के लिए हकदार होंगे । |
| 16. | आरक्षण : | सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों/अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवाओं में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के अधीन होगी । |
| 17. | विभागीय परीक्षा : | सेवा में प्रत्येक सदस्य को समय-समय पर यथा संशोधित विभागीय परीक्षा नियम, 1997 में यथा विहित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी । |
| 18. | शिथिल करने की शक्ति : | जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किन्ही उपबन्धों को किसी वर्ग या व्यक्ति (व्यक्तियों) के प्रवर्ग या पद (पदों) की बाबत, शिथिल कर सकेगी । |

उपाबन्ध–ख

वरिष्ठ आयुर्वेदिक चिकित्सक(विशेषज्ञ) और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य प्रधान सचिव/सचिव (आयुर्वेद), हिमाचल प्रदेश सरकार के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा/ करार का प्रारूप

यह करार श्री/श्रीमती .....पुत्र पुत्री श्री ..... निवासी..... संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् "प्रथम पक्षकार" कहा गया है) और हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, के मध्य प्रधान सचिव/सचिव आयुर्वेद, हिमाचल प्रदेश सरकार (जिसे इसमें इसके पश्चात् "द्वितीय पक्षकार" कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख..... को किया गया ।

"द्वितीय पक्षकार" ने उपरोक्त "प्रथम पक्षकार" को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने वरिष्ठ आयुर्वेदिक चिकित्सक(विशेषज्ञ) के रूप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तो पर सेवा करने के लिए सहमति दी है:–

01. यह कि प्रथम पक्षकार वरिष्ठ आयुर्वेदिक चिकित्सक(विशेषज्ञ) के रूप में.....से प्रारम्भ होने और ..... को समाप्त होने वाले दिन तक, एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस को अर्थात्..... दिन को सवंयमेव ही पर्यवसित (समाप्त) हो जाएगी और सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा :

परन्तु वर्षानुवर्ष आधार पर संविदा की अवधि में विस्तारण/नवीकरण के लिए विभागाध्यक्ष यह प्रमाण पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा तथा आचरण, वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि को विस्तारित/नवीकृत्त की जाएगी।

02. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम 22,200/– रूपए प्रति मास होगी।

03. प्रथम पक्षकार की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है या यदि नियमित पदधारी उस रिक्ति के विरूद्ध नियुक्त/तैनात कर दिया जाता है, जिसके लिए प्रथम पक्षकार को संविदा पर लगाया गया है, तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) की जाने के लिए दायी होगी/होगा।

04. संविदा पर नियुक्त वरिष्ठ आयुर्वेदिक चिकित्सक(विशेषज्ञ) एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त कर्मचारी बारह सप्ताह के प्रसूति अवकाश और दस दिन के चिकित्सा अवकाश के लिए भी हकदार होगा/होगी। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय किसी अन्य प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नही होगा:

परंतु अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश और चिकित्सा अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नही किया जाएगा।

05. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्त्तव्यों से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा। संविदात्मक वरिष्ठ आयुर्वेदिक चिकित्सक(विशेषज्ञ) कर्त्तव्य (ड्यूटि) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा।

06 संविदा के आधार पर नियुक्त कर्मचारी, जिसने तैनाती के एक स्थान पर पांच वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो।

07 चयनित अभ्यर्थी को सरकारी /रजिस्टीकृत व्यवसायी, से अपना आरोग्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यर्थियों की दशा में, बारह सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था, प्रसव होने तक, उसे अस्थायी तौर पर अनुपयुक्त बना देगी। महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाना चाहिए।

08 संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, यदि अपने पदीय कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो , तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित प्रतिस्थानी अधिकारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।

09 संविदा पर नियुक्त व्यक्ति(यों) को कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना के साथ-साथ ई0पी0एफ0/जी0पी0एफ0 भी लागू नहीं होगा।

इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार ने इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं ।

साक्षी की उपस्थिति में

1..... प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर

नाम .....

पता .....

---

साक्षी की उपस्थिति में

2..... द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर

नाम .....

पता .....